

आवेदन पत्र
(नियम 7 देखें)

हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति की निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज/शामिल करवाने हेतु आवेदन

सेवा में

हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के वार्ड संख्या
की निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज करने हेतु पटवारी / प्राधिकृत अधिकारी / कर्मचारी

पासपोर्ट साईज की
नवीनतम फोटोग्राफ
लगाने का स्थान
(35 मी.मी.)

- 1 मैं पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री
- आयु निवासी
- इसके द्वारा घोषणा करता / करती हूँ की मैं...
- क एक केशधारी सिख हूँ,
- ख मेरी दाढ़ी या केशों को साफ या हजामत नहीं करता ,
- ग. धुम्रपान नहीं करता या किसी भी रूप में कुथा (हलाल) मास का प्रयोग नहीं करता ,
- घ. मादक पेय नहीं लेता ,
- ड पतित नहीं हूँ,
- च. 01 जनवरी, 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है ,
- छ. उपरोक्त पते का पिछले छः मास से अधिक का सामान्य निवासी हूँ, तथा
- ज गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के अन्य किसी वार्ड की निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज करवाने हेतु आवेदन नहीं दिया है।

हस्ताक्षर/अगूठा निशान**

*पतित से अभिप्राय है कि, कोई व्यक्ति, जो केशधारी सिख होते हुए केशों को साफ या हजामत करता है या जो अमृत छकने के बाद उपरोक्त बिन्दु ख. से ड पर दर्शाई कोई कुराहित करता / करती है।

[अधिनियम की धारा 2 (1)]

**किसी निरक्षर के मामलों में जो उसने प्ररूप से समझी है, घोषणा दोहरानी चाहिए तथा फिर प्ररूप पर अगूठा निशान लगाना चाहिए। [नियम 7 के उपनियम (1) का परन्तुक]

हस्ताक्षर/अगूठा निशान**

- 2 मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मेरा नाम 1. (कालका उदाहरण) हरियाणा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या में क्र० संख्या पर दर्ज है और मेरा वोटर कार्ड संख्या है।
- (आवेदन पत्र के साथ वोटर कार्ड की प्रति संलग्न करें।)
- यदि किसी आवेदक का नाम विधान सभा की निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं है तो वह अपना नाम दर्ज करवाने हेतु अपना आधार कार्ड या पटवारी / प्राधिकृत अधिकारी / कर्मचारी की संतुष्टि के लिए अपना रिहायश का अन्य दस्तावेज संलग्न कर सकता है।

हस्ताक्षर/अगूठा निशान**

निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज करने वाले पटवारी / प्राधिकृत अधिकारी / कर्मचारी का निर्णय स्वीकृत / अस्वीकृत.....

दिनांक

पटवारी / प्राधिकृत अधिकारी / कर्मचारी के हस्ताक्षर

यदि कोई पटवारी या प्राधिकृत अधिकारी / कर्मचारी किसी आवेदक का नाम पंजीकरण करने से इंकार करता है तो आवेदक अपना आवेदन रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन कर सकता है। यदि वह आवेदक अपना नाम पंजीकृत करवाने का हकदार होगा तो रिटर्निंग अधिकारी उसका नाम दर्ज करने के लिए निर्देश देगा।

आवेदन की पावती

हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के वार्ड संख्या में नाम दर्ज करने हेतु आपका आवेदन प्राप्त हो गया है और रजिस्टर की क्र० संख्या पर आपका आवेदन दर्ज है।

दिनांक

पटवारी / प्राधिकृत अधिकारी / कर्मचारी के हस्ताक्षर